न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 02, बाड़मेर (राज॰)

पीठासीन अधिकारी : पीयूष चौधरी, (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी विविध प्रकरण संख्या : 09/2025 (05/2025)

01. गोमीदेवी पत्नी स्व 0 लालाराम, निवासी पुनड़ों की बस्ती, उण्डखा, तहसील व जिला बाड़मेर ।

––प्रार्थीनी

बनाम

01. हर आम व खास ।
02. मांगीदेवी पत्नी स्व. टिलाराम, निवासी पुनड़ों की बस्ती, उण्डखा, तहसील व जिला बाड़मेर ।
03. पवनी पुत्री स्व. गोपाराम पत्नी स्व. देराजराम, निवासी सणाऊ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर ।
04. परमेश्वरी पुत्री स्व. गोपाराम पत्नी पेमाराम, निवासी धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर ।
05. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कलेक्ट्रेट, बाड़मेर ।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थिति :–

01. श्री पेमाराम परमार , अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
03. श्री मांगीलाल, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की ओर से ।
03. अप्रार्थी संख्या 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक : 16.03.2026

1. प्रार्थीनी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् दिनांक 04.01.2025 को अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 01, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर के आदेशानुसार अंतरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 06.09.2025 को प्राप्त हआ ।

2. प्रार्थना–पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मृतक गोपाराम पुत्र

हरचंदराम प्रार्थीनी व विप्रार्थीनी संख्या 02 का ससुर तथा विप्रार्थीगण संख्या 03 व 04 का पिता था । प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 02 का ससुर तथा विप्रार्थी संख्या 03 व 04 का पिता गोपाराम दिनांक 12.06.2021 को निधन हो चुका है। गोपाराम ने अपने जीवनकाल में भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कलेक्ट्रेट, बाड़मेर में एक सावधि खाता नंबर 38190647376 रूपये 1,00,000/– का दिनांक 16.01.2019 को खुलवाया था, जिसकी परिपक्वता तिथि दिनांक 16.01.2024 थी । गोपाराम ने अपने जीवनकाल में खुलवाये गये सावधि खाता में किसी को नोमिनी नियुक्त नहीं किया गया है । गोपाराम के पुत्र टीलाराम व लालाराम का स्वर्गवास क्रमशः दिनांक 22.09.2001, 12.09.1995 को हो चुका है । प्रार्थीनी के ससुर गोपाराम की मृत्यु हो जाने से प्रार्थीनी उक्त सावधि खाता की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज प्राप्त करना चाहा, लेकिन सावधि जमा खाता में प्रार्थीनी अपने ससुर की नोमिनी नहीं होने के कारण प्रार्थीनी को उक्त सावधि जमा खाता के तहत् क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया तथा विप्रार्थी संख्या 05 बैंक द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की मांग प्रार्थीनी से की गयी है, इसलिए अपने ससुर के नाम से जारी सावधि जमा खाता की राशि मय ब्याज की प्राप्ति हेतु प्रार्थीनी को उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है । प्रार्थीनी उक्त सावधि जमा खाता की राशि मय ब्याज प्राप्त करना चाहती है, इसलिए प्रार्थीनी मृतक गोपाराम की वैध पुत्रवधु व उत्तराधिकारिणी होने के कारण उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र सक्षम न्यायालय से जारी करवाकर सक्षम कार्यालय में इसकी प्रति पेश कर गोपाराम की उक्त सावधि जमा खाता की राशि मय ब्याज प्राप्त करना चाहती है । स्वर्गीय गोपाराम की प्रार्थीनी पुत्रवधु तथा विधिक उत्तराधिकारी है और विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण भी गोपाराम के उक्त सावधि जमा खाता की राशि को प्राप्त करने की अधिकारिणी है । अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी को स्व. गोपाराम का उत्तराधिकारी घोषित कर स्व. गोपाराम के जीवन काल में जारी करवाई गई सावधि जमा खाता संख्या 38190847376 रुपये 1,43,931/– रुपए के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करावें ।

3. प्रार्थना–पत्र दर्ज किया जाकर विधिवत नोटिस जारी किए गए व अखबार में नोटिस प्रकाशित करवाकर आपत्तियां आमंत्रित की गयी किन्तु कोई उजरदार उपस्थित नहीं हुआ।

4. अप्रार्थी संख्या 02 से 04 ने जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी को स्वर्गीय गोपाराम की उत्तराधिकारी घोषित कर स्वर्गीय गोपाराम के जीवन काल में जारी करवाई गई सावधि जमा खाता संख्या 38190647376 रुपए 1,43931/– रुपए के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है तो विप्रार्थी संख्या 02 से 04 को कोई आपत्ति नहीं है ।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 04.12.2025 को निम्न विवाद्यक विरचित किए गए––

(1) आया प्रार्थीनी अपने ससुर गोपाराम पुत्र हरचंदराम की की मृत्यु होने से उसके नाम से भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कलेक्ट्रेट, बाड़मेर में गोपाराम के जीवनकाल में जारी करवाई गई सावधि जमा खाता संख्या 38190847376 रुपए 1,43,931/– रुपए प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

.. प्रार्थी

(2) अनुतोष।

6. आवेदन के समर्थन में प्रार्थीनी की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.डबल्यु. 01 गोमीदेवी को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मृत्यु प्रमाण पत्र गोपाराम प्रदर्श 01, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 01ए, मृत्यु प्रमाण पत्र लालाराम प्रदर्श 02, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 02ए, मृत्यु प्रमाण–पत्र टीलाराम प्रदर्श 03, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 03ए, बैंक एफडी प्रदर्श 04, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 04ए, प्रार्थीनी गोमीदेवी का आधारकार्ड प्रदर्श 05, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 05ए पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

7. विप्रार्थीगण की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी ।

8. हमने बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर तनकीवार हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

9. **तनकी संख्या 01––** यह तनकी इस प्रकार है कि क्या प्रार्थीनी अपने ससुर गोपाराम पुत्र हरचंदराम की की मृत्यु होने से उसके नाम से भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कलेक्ट्रेट, बाड़मेर में गोपाराम के जीवनकाल में जारी करवाई गई सावधि

जमा खाता संख्या 38190847376 रुपए 1,43,931/– रुपए प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अधिकारिणी है ? इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थीनी पर था।

10. प्रार्थीनी गोमीदेवी ए.डबल्यू 01 ने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है । प्रार्थीनी से कोई जिरह नहीं की गयी है । प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीगण की कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे प्रार्थीनी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह जाता है । अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 जो कि मृतक स्वर्गीय गोपाराम के अन्य वारिशान हैं, ने प्रार्थीनी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है, न ही अन्य किसी उजरदार ने न्यायालय में आकर प्रार्थीनी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करने में कोई आपत्ति जाहिर की है । अतः तनकी संख्या 1 प्रार्थीनी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय की जाती है ।

11. **अनुतोषः–** चूंकि तनकी संख्या 01 प्रार्थीनी के पक्ष में तय की गयी है, जिससे स्वर्गीय गोपाराम के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कलेक्ट्रेट, बाड़मेर में जारी करवाई गई सावधि जमा खाता संख्या 38190847376 रुपए 1,43,931/– रुपए प्राप्त करने हेतु प्रार्थीनी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

12. परिणामतः प्रार्थीनी गोमीदेवी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीनी के ससुर मृतक स्वर्गीय गोपाराम के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कलेक्ट्रेट, बाड़मेर में जारी करवाई गई सावधि जमा खाता संख्या 38190847376 रुपए 1,43,931/– रुपए प्राप्त करने के लिए प्रार्थीनी के हक में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र उसके द्वारा न्यायशुल्क अदा करने की शर्त पर जारी करने का आदेश दिया जाता है ।

13. प्रार्थीनी यह भी अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि भविष्य में उक्त राशि बाबत अन्य कोई उत्तराधिकारी पाया जाता है, तो वह इस संबंध में न्यायालय के

आदेशों की पालना करेगी।

(पीयूष चौधरी)
अपर जिला न्यायाधीश,
संख्या 02, बाड़मेर

14. निर्णय आज दिनांक **16.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष चौधरी)
अपर जिला न्यायाधीश,
संख्या 02, बाड़मेर